IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक.: 1225/नि0प्रा024/2014 दिनांकः 16/6 2014

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल प्रा0लि0,
पदम प्लाजा प्लाट नं0 5,
से0 16 बी0 आवास विकास कालोनी सिकंदरा,
आगरा।

महोदय,

परिषद की सिकंदरा योजना आगरा के से0 16 बी0 में भूखण्ड सं0 जी0–01 हेतु आवेदन के परिप्रेक्ष्य में आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में 15.0 वर्ग मी0 से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु समिति की बैठक दिनांक 10.2.2014 में लिए गए निर्णयानुसार निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1.स्वीकृत मानचित्र की अवधि 16.5.2014 से 15.6.2019 तक पॉच वर्ष की होगी।

2. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।

3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।

4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।

5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 41509.76 वर्ग मी0बेसमेंट+स्टिल्ट+9 एवं बेसमेंट +,भूतल+10तल क्षेत्रफल के लिए 9618.53 वर्ग मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गई है।बेसमेंट एवं स्टिल्ट में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफएआर में आगणित नहीं किया गया है बेसमेंट +स्टिल्ट तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप सुनिश्चित किए जाने के उपरांत (संबंधित खण्ड से)पुष्टि के पश्चात शेष अनुवर्ती तलों पर निर्माण स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृति मानचित्र की प्रति संलग्न)।

6 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड –29 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।

7. भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।

8. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

9. सोलर पैसिव पद्धति को अनिवार्य रुप से करना होगा।

10. कम से कम प्रति 100 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

11. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

12. समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

13. अधिशासी अभियन्ता, नि0खंड 29 आगरा के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखंड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

14. उप निदेशक फायर सर्विस आगरा के पत्रांक 2014 /एजी0/195/शा0पुरम/032/38/3/2/2014 की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।

15. भूकम्परोधी शा0सं0 570–9आर0–12001(आ0व)दिनांक 3.2.2001 एवं 3751/9 आ0भू0/2001(आ0व0) दिनांक 20.7.91 के अंतर्गत शर्त सेट के एक स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गई जिसका अनुसरण करना होगा।

16. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र ढॉचागत (स्ट्रक्चरल) प्राविधानों के अंतर्गित करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है।

17. प्रदूषण विभाग आगरा के पत्रांक 2033/पी0आर0ए0वाईए0/एस0ईए0सी/ 1978/2013/ए0डी0/(सब) दिनांक 12.10.2013 का अनुपालन किया जाना होगा।

18. 1.0 एफ0ए0आर0 शुल्क रु0 5,36,71,395.00 (पॉच करोड़ छत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ पच्चान्नबे मात्र) होता है । आवंटी द्वारा रु0 5,36,71,395.00 (पॉच करोड़ छत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ पच्चान्नबे मात्र) जमा कर दिए गए हैं

19. योजना नगर निगम को हस्तांतरित होने के कारण भूखण्ड पर निर्माण से पूर्व नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर अधि0अभियंता निप0खण्ड–29 आगरा को निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्रेषित किया जाना होगा।

संलग्नकः

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट
2. स्ट्रक्चरल डिजाइंस का एक सेट

16/6/14

(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक

पत्रांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियंता षष्टम वृत्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद आगरा को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड. 29 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाणपत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र –ग की एक प्रति संलग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गई है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा तथा जल शुल्क के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाणपत्र जल निगम आगरा से प्राप्त कर आपको प्रेषित करेंगा।
3. सहायक आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध आफिस काम्प्लेक्स से0 9 सिकंदरा आगरा
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, शान्तीपुरम आगरा प्रपत्र 'च' सहित।

(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक